न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द्र आर.ए.एस..

मैनुअल प्र.सं. : 38/23

जीसीएमएस : 2023/309

1. रामगोपाल पुत्र श्री चुनी जाति बावरी साकिन 19 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज0)।

–:प्रार्थी

बनाम

1. कालूराम पुत्र भूराराम जाति बावरी साकिन 19 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. महेन्द्र पुत्र श्री साधुराम जाति बावरी साकिन 19 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर। –:अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:– 18.09.2023

उपस्थित अधिवक्ता:–

1. श्री अवतार सिंह प्रार्थी अधि.।
2. श्री लखविन्द्र सिंह अप्रार्थी सं. 1 अधि.

––निर्णय–– दिनांक 19.01.2026

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क की उपधारा (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरी कृषि जोत चक 19 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर के खाता संख्या 62/52 मु0नं0 51 प0नं0 170/344 में 1.644 है0 नहरी भूमि व मु0नं0 52 प0नं0 171/344 में 2.530 है0 नहरी मय खाला कुल तादादी 4.174 है0 नहरी मय खाला खातेदारी में प्रार्थी की 4111/4174 हिस्सा खातेदारी भूमि है जिसमें मु0नं0 52 प0नं0 171/344 के किला नं. 15 में रिहायशी ढाणी बनी हुई है। अप्रार्थी सं0 1 कालूराम के नाम से उपखण्ड रायसिंहनगर के चक 6 एस.ए.डी तहसील रायसिहनगर के मु0नं0 17 प0नं0 170/344 में 1.898 है0 कमाण्ड व अप्रार्थी सं0 2 महेन्द्र के नाम से चक 8 एस.ए.डी तहसील रायसिंहनगर के मु0नं0 61 प0नं0 171/344 में 2.530 है0 कमाण्ड भूमि है जिसमें अप्रार्थी सं0 1 के नाम के चक 6 एस.ए.डी के मु0नं0 17 प0नं0 171/344 के किला नं0 21 में कॉर्नर में 20 इन्टू 20 फुट व अप्रार्थी सं0 2 महेन्द्र के चक 8 एस.ए.डी के मुनं0 61 प0नं0 171/344 के किला नं0 16 व 25 में से 2–2 बिस्वा भूमि प्रार्थी के चक 19 एन.पी तहसील रायसिंहनगर के मु0नं0 52 प0नं0 171/344 के किला नं0 15 में बनी [illegible] के लिए रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे जिस रास्ता की भ[illegible]को [illegible] द्वारा खरीद किया हुआ है जो रास्ता मौका [illegible] चालू है तथा [illegible] अपनी ढाणी में आवागमन करता है रास्ता [illegible] की हुई है अगर फिर भी माननीय [illegible] की भूमि व अन्य किलाजात में रास्ता स्वीकृति के बदले कोई राशि अदा की जानी तैय करते है तो प्रार्थी बाजार भाव के बराबर कीमत अदा करने के लिए सहमत है।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.02.16 12:10:25 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका जांच रिपोर्ट हेतु पत्र जारी किया गया है। अप्रार्थी सं. 1 की तरफ से लखविन्द्र सिंह ने वकालतनामा पेश किया। प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बन्द किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 महेन्द्र पुत्र श्री साधुराम जाति बावरी साकिन 14 एसडी तहसील रायसिंहनगर ने दिनांक 23.12.2025 को प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि अनवान प्रकरण में रामगोपाल पुत्र चुन्नीराम निवासी 19 एनपी के द्वारा मुझ प्रार्थी की भूमि चक 8 एस.ए.डी के मु0नं0 61 प0नं0 171/344 के किला नं0 16 ता 25 में रास्ता की मांग की थी। प्रार्थी रास्ता देने को तैयार है, प्रार्थी ने रास्ता के बदले में रामगोपाल से राशि प्राप्त कर अपना हक पूर्ण किया हुआ है, इसलिए प्रार्थी अब रामगोपाल से रास्ते के बदले में भूमि व राशि प्राप्त नही करना चाहता। मेरी भूमि से रामगोपाल को रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

3. तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांकः राजस्व/2023/1901 दिनांक 28.12.2023 से अवगत करवाया कि मुताबिक रिपोर्ट व जमाबंदी प्रार्थीगण के नाम चक 19 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर के खाता संख्या 62/52 मु0नं0 51 प0नं0 170/344 में 1.644 है0 नहरी भूमि व मु0नं0 52 प0नं0 171/344 में 2.530 है0 नहरी मय खाला कुल तादादी 4.174 है0 नहरी मय खाला भूमि रामगोपाल पुत्र चुन्नी, गोमती पत्नी ओमप्रकाश, राकेशकुमार–राजेन्द्रकुमार–सुमित्रादेवी पि. ओमप्रकाश जाति बावरी साकिन देह खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं। अप्रार्थी गण के नाम चक 6 एस.ए.डी तहसील रायसिहनगर के मु0नं0 17 प0नं0 170/344 में 1.898 है0 कमाण्ड भूमि कालूराम पुत्र भूराराम जाति बावरी साकिन 3 आई.एसडब्ल्यू. के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है व चक 8 एसएडी के प.नं. 171/344 मु.नं. 61 के कि.नं. 16 ता 25 की 2.530 है. कमाण्ड भूमि महेन्द्र पुत्र साधुराम जाति बावरी साकिन 14 एसडी के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड हैं। प्रार्थी द्वारा चक 19 एनपी मु.नं. 52 के कि.नं. 15 में बनी अपनी ढाणी में आवागमन हेतु चक 8 एसएडी के प.नं. 171/344 मु.नं. 61 के कि.नं. 16 व 25 में दो–दो बिस्वा व चक 6 एसएडी के प.नं. 171/344 मु.नं. 17 के कि.नं. 21 के दक्षिण–पश्चिम कॉनर में रास्ता मिलान हेतु 20 गुणा 20 फुट (कॉनर) रास्ता की मांग की है जो चक 6 एसएडी के मु.नं. 30 के कि.नं. 1–10–11–20 व 21 में स्वीकृतशुद्वा रास्ता से मिलान होता है जबकि वर्तमान में मौके पर चक 8 एसएडी के मु.नं. 61 के कि.नं 16 व 25 एवं मु.नं. 62 के कि.नं. 5 के उतरी–पूर्वी कॉनर से होकर मु.नं. 30 के कि.नं. 1–10–11–20 व 21 में स्वीकृतशुद्वा रास्ता से मिलान हो रहा है जो मौके पर चालू है। अतः प्राथीगण की मांग अनुसार अपनी ढाणी में आवागमन हेतु चक 8 एसएडी के प.नं. 171/344 मु.नं. 61 के कि.नं. 16 व 25 में दो–दो बिस्वा व चक 6 एसएडी के प.नं. 170/344 मु.नं. 17 के कि.नं. 21 के दक्षिण–पश्चिम कॉर्नर में रास्ता मिलान हेतु 20 गुणा 20 फुट (कॉर्नर) रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित है यह स्वीकृतशुद्वा रास्ता से निकटतम दूरी पर है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.02.16 12:10:25 IST
Reason: SelfAttested

4. बहस उपयपक्ष अधिवक्ता सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौराया और चाहा गया रास्ता स्वीकृत किये जाने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी सं. 1 की तरफ से अधिवक्ता न तो प्रार्थना पत्र

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

जवाब पेश किया और न ही न्यायालय में हाजिर आया। अप्रार्थी सं. 2 ने दिनांक 23.12.2025 को स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत करने के लिए अपनी सहमति दी है।

5. हमने विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनकर व समझकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट, भू–अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। भू–अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के पास अपनी जोत में आने–जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है इसलिए प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते को स्वीकृत करने की अनुशंषा भी गई है अप्रार्थी सं. 2 ने प्रार्थी को चाहा गया रास्ता स्वीकृति पर सहमति दी है प्रार्थी को अपने खेत में आने–जाने के लिए अन्य रास्ता भी नहीं है चाहा गया रास्ता आत्यन्तिक आवश्यकता की श्रेणी में है। प्रार्थी के पास इसके अलावा अपनी जोत में आने–जाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251 क आरटीएक्ट के तहत स्वीकार किया जाना उचित हैं।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 स्वीकार किया जाकर चक 8 एसएडी के प.नं. 171/344 मु.नं. 61 के कि.नं. 16 व 25 में दो–दो बिस्वा व चक 6 एसएडी के प.नं. 170/344 मु.नं. 17 के कि. नं. 21 के दक्षिण–पश्चिम कॉर्नर में रास्ता मिलान हेतु 20 गुणा 20 फुट (कॉर्नर) भूमि को **गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है।** अतः तहसीलदार रायसिंहनगर उक्त रास्ते में आने वाली भूमि के बदले अप्रार्थी सं. 2 की भूमि चक 6 एसएडी के प.नं. 170/344 मु. नं. 17 के कि.नं. 21 के हेतु 20 गुणा 20 फुट (कॉर्नर) भूमि की डीएलसी दर की दुगुनी राशि जमा करवाने के उपरान्त ही गैरमुमकिन रास्ता कायम करे एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

निर्णय आज दिनांक 19.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.02.16 12:10:25 IST
Reason: SelfAttested